भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यमम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्यां895

उत्तार देने की तारीख : 21.11.2019

एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार सृजन

895. श्री अनिल फिरोजियाः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिलः
श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री हेमन्त पाटिलः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत के जीडीपी और इसके निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का क्या योगदान है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एमएसएमई द्वारा सृजित रोजगारों का ब्यौरा क्या है और आगामी पांच वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उपर्युक्त क्षेत्र में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों और हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि छोटे व्यवसाय के मालिकों को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है जिसके कारण उनके उद्यम बंद हो रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पहलू का अध्ययन करने और उन्हें जल्द भुगतान दिलाने के लिए कोई समिति गठित की है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने ऐसी वेबसाइट बनाई है जहां उद्यमी अपनी समस्याएं उठा सकते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मंत्रालय द्वारा किन पारंपरिक उद्योगों को सहायता दी जाती है; और

(छ) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र में रोजगार सृजन की दर निवेश वृद्धि दर के अनुरूप नहीं है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्त र

सूक्ष्मह लघु और मध्ययम उद्यम मंत्री
(श्री नितिन गडकरी)

(क) : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) , सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2015-16 , 2016-17 और 2017-18 के दौरान अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई की हिस्सेदारी क्रमश: 29.5 प्रतिशत और 29.3 प्रतिशत और 29.7 प्रतिशत रही है। वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 (अप्रैल - अगस्त 2019) के दौरान कुल निर्यात में एमएसएमई से संबंधित उत्पादों की हिस्सेदारी क्रमश 49.69 प्रतिशत , 48.56 प्रतिशत, 48.10 प्रतिशत और 49.66 प्रतिशत है।

(ख) : वर्ष 2016-17 , 2017-18 और 2018-19 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों में सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या) क्रमश: 4.08 लाख, 3.87 लाख और 5.87 लाख रहा है।

(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई के संवर्धन और विकास में सहयोग के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। इनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) , सूक्ष्म और लघु उद्यम- क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) , पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई के संवर्धन के लिए योजना , टूल रूम और प्रौद्योगिकी केन्द्र , मिशन सौर चरखा (एमएससी) , पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति) , खरीद और विपणन सहायता योजना , उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) , सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना और क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीएलसीएस-टीयूएस) सम्मिलित है।

(घ) से (च) : सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम , 2006 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को विलम्बित भुगतान के मुद्दे का हल निकालने से संबंधित प्रावधान है। इसके अनुरूप विलम्बित भुगतानों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए राज्यों में स्थापित किए गए सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) के अंतर्गत आवेदन फाइल किए जाने को सरल बनाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई समाधान पोर्टल आरम्भ किया है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा पारंपरिक उद्योगों को सहयोग प्रदान करने के लिए पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति) का कार्यान्वयन किया जाता है।

(छ) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में निवेश के संदर्भ में रोजगार सृजन बड़े उद्यमों से अधिक है।

*****